



भारत सरकार  
खान मंत्रालय  
भारतीय खान व्यूरो,  
क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय  
द्वितीय तल, जी० एस० आई० फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार कार्यालय परिसर,  
पोस्ट-विधानसभा, रायपुर-४९२००५ (छत्तीसगढ़)  
फोन एवं फैक्स-०७७१-२२८२५३०, २२८५५९० ई-मेल: ro.raipur@ibm.gov.in

उल्लंघन पत्र  
रजि. ए.डी./स्पीड पोस्ट/ई-मेल/फैक्स



क्र०— छग० / बस्तर / लौ०अ०—२ / नागपुर / भाग—०२  
प्रति,

30ए.पी.आर.02002

दिनांक :— 28.07.2017

श्री पी० के० सतपथी,  
निदेशक (उत्पादन) एवं नॉमिनेटेड ऑनर,  
एनएमडीसी लिमिटेड,  
खनिज भवन, कासल हिल, मासब टैक,  
हैदराबाद— ५०० ०२८

विषय:— छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा जिले में स्थित आपकी बैलाडीला लौह अयस्क खदान डिपोजिट 14 एन०एम०जे०ड० क्षेत्रफल ५०६.७४२ है० में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली २०१७ के नियमों के उल्लंघन के संबंध में।

महोदय,

आपकी आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 23.07.2017 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्री विनायक तिवारी, डी०जी०एम० (जियोलौजी) की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली २०१७ के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है:—

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत व्यूरा
Rule 11(1)	The following deviations have been found in the mine from approved Modified Mining Plan vide letter no. BST/FE/MPLN-434/NGP/2015/08 Raipur Dated 05/08/2016 for the period of 2015-16 to 2019-20: <b>Development:</b> It has been found that the 7.5m barrier zone in between the common lease boundary of Deposit 11 and 14NMZ has been completely mined out without obtaining any statutory permission from the competent authority. <b>Waste Dumping:</b> There was a proposal given for waste dumping at south-western part of the lease area whereas waste dumping has been done in the existing waste dump of deposit 11. <b>Protective Measures:</b> There was a proposal given for construction of Buttress wall/retaining wall at the edge of waste dump area to prevent flowing of waste down the slope whereas the same has not been constructed.
Rule 26(2)	A yearly report as per the format specified by the Indian Bureau of Mines, before 1st day of July every year setting forth the extent of protective and rehabilitative works carried out has not been submitted for the year 2016-17.
Rule 33	Updated print copy of the surface geological plan and sections has not been submitted before 30th day of June for the year 2016-17.
Rule 47	Notice of shaft sinking and boreholes within fifteen days after the commencement has not been sent to the Regional Controller of Mines, Raipur.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली २०१७ के नियम ६२ के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं इस नियम का उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली २०१७ के नियम ११(२) के अंतर्गत
  - खान की समस्त खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती है।
  - आपके विरुद्ध अभियोग याचिका दायर किया जा सकता है।
  - खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।
03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपराक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

(शैवाल कार्तिकेय)  
कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी,  
भारतीय खान व्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान व्यूरो, नागपुर—440001
2. संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।
3. श्री टी०सी० चेरियन, महाप्रबंधक, बैलाडीला लौह अयस्क खदान, किरन्दुल कॉम्प्लेक्स, जिला—साउथ बस्तर, दन्तेवाड़ा (छ.ग.). 494556

(शैवाल कार्तिकेय)  
कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी,  
भारतीय खान व्यूरो, रायपुर